

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।
पत्रांक 1270/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-24-11-2023.

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, सोनभद्र ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या-यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक-1350/11-सी दिनांक-28.11.2023.

महोदय,

अवगत कराना है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये विषयक प्रस्ताव उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त, अपने कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में कमियां दर्शाते हुए, सन्दर्भित पत्र में इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात बिन्दुवार निराकरण आन लाईन अपलोड कर, पूर्ण आन लाईन प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

उक्त के में में आपको मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक-1350/11-सी दिनांक-28.11.2023 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि आप पत्र में इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात बिन्दुवार निराकरण आन लाईन अपलोड कर पूर्ण आन लाईन प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही किया जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुराग प्रियदर्शी)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।

संख्या- अ/समदिनांकित

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुराग प्रियदर्शी)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक:- 1350 / 11-सी-FP/UP/Road/117639/2021, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 28, 2023
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के अंतर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी०एम०जी०एस०वाई० द्वारा स्वीकृत पैकेज सं०-यू०पी० 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक-820/11-सी- FP/UP/Road/117639/2021, दिनांक 25.11.2023 एवं आपका पत्रांक-1975/मी०क्षे०/33, दिनांक 25.11.2023

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में इंगित की गयी कमियों का निराकरण आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25.11.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त पुनः निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गया:-

ऑनलाइन पार्ट-1 में प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर पर पायी गयी कमियाँ:-

1. ऑनलाइन के क्रमांक-C-ii(b) में प्रस्तावित वनभूमि की के०एम०एल० फाइल के स्थान पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली गैर वनभूमि की के०एम०एल० फाइल अपलोड है। अतः इसे डिलिट कर प्रस्तावित वनभूमि की के०एम०एल० फाइल यथास्थान पर अपलोड करें।
2. ऑनलाइन के क्रमांक-C-iii एवं क्रमांक-C-iv में प्रस्तावित वनभूमि की Sol Toposheet एवं Geo Referenced Digital Map के स्थान पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली गैर वनभूमि की Sol Toposheet एवं Geo Referenced Digital Map अपलोड है। अतः इसे डिलिट कर प्रस्तावित वनभूमि की Sol Toposheet एवं Geo Referenced Digital Map यथास्थान पर क्रमशः अपलोड करें।
3. ऑनलाइन के क्रमांक-L(iv) (g), Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency में परियोजना का स्वीकृत आदेश अपलोड है। अतः इसे डिलिट कर गैर वनभूमि का Present owner एवं User Agency के बीच Mou/Agreement की कापी यथास्थान अपलोड करें।
4. ऑनलाइन के क्रमांक-L(iv)(d) में 13.134 हे० अवनत वनभूमि के कम्पाटमेन-7 के स्थान पर अवनत वनभूमि का क्षेत्रफल 15.74 हे० एवं कम्पाटमेन-6 अंकित किया गया है। अतः इसे डिलिट कर अवनत वनभूमि का क्षेत्रफल 13.134 हे० एवं कम्पाटमेन-7 अंकित करें।

ऑनलाइन पार्ट-2 में प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर पायी गयी कमियाँ:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सी०ए० की चेक लिस्ट (चेक लिस्ट संलग्न) ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् बिन्दुवार निराकरण ऑनलाइन अपलोड कर पूर्ण ऑनलाइन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

18

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1350 / 11-सी-FP/UP/Road/117639/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र।

18

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।